Impact Factor-8.632 (SJIF) ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Single Blind Peer-Reviewed & Refereed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

March-24

(CDLXX) 470

किन्नर विमर्श

Chief Editor
Prof. Virag S. Gawande
Director
Aadhar Social
Research & Development
Training Institute Amravati

Editor
Dr. Sujitsingh Parihar
Dept. of Hindi,
Dnyanopasak Shikshan Mandal's
College of Arts, Commerce and Science
Parbhani, Dist.- Parbhani,

This Journal is indexed in :
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

Aadhar Publications

Impact Factor – (SJIF) –8.632

ISSN – 2278-9308

B.Aadhar

Single Blind Peer-Reviewed & Refereed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

March -2024

ISSUE No- (CDLXX) 470

किन्नर विमर्श

Chief Editor

Prof. Virag.S.Gawande

Director

Aadhar Social Research &, Development Training Institute, Amravati.

Editor

Dr. Sujitsingh Parihar

Dept. of Hindi,

Dnyanopasak Shikshan Mandal's

College of Arts, Commerce and Science Parbhani, Dist.- Parbhani,

Aadhar International Publication

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

© All rights reserved with the authors & publisher

44	हिंदी उपन्यासों में किन्नर विमर्श: समाज और संवेदना	प्रा.डॉ.शिवसर्जन होनाजी टाले	154
45	अस्तित्व : किन्नर जीवन की लडाई	डॉ. पुष्पा गोविंदराव गायकवाड	157
46	'किन्नर समुदाय : समाज और सरकार'	डॉ. रज़िया शहेनाज़ शेख अब्दुल्ला	160
47	हिंदी उपन्यासों में किन्नर विमर्श	डॉ. रत्नमाला धारबा धुळे	164
48	'अस्तित्व' उपन्यास में किन्नर विमर्श	डॉ. बालाजी विलासराव महाळंकर	167
49	हिंदी उपन्यासों में किन्नरों की व्यथा	प्रा.डॉ.शहाजी बाला चव्हाण	171
50	किन्नर समुदाय और मानव अधिकार	डॉ. शिवाजी वडचकर	175
51	किन्नर विमर्श और हिंदी कविता	प्रा.डॉ. प्रकाश सदाशिव सूर्यवंशी	179
52	नदीष्ट उपन्यास में चित्रित किन्नर विमर्श	डॉ.न.पु.काळे	182

Impact Factor 6.632, Issue NO, (CDLXX) 470 | ISSN : 2278-9308 March , 2024

किन्नर समुदाय और मानव अधिकार

डॉ. शिवाजी वडचकर
हिंदी विभाग कै.रमेश वरपुडकर महाविद्यालय सोनपेठ जि.परभणी
8983848788 sayaliswapnilwsa@gmail.com

Late Ramesh Warpudkar ACS College Ta.Sonpeth Dist.Parbhani Sonpeth Pin-431516

शोधसार :- इक्कीसवी सदी के आरंभ से ही अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा में भी अन्य विमर्शों के समान किन्नर विमर्श ने जोर पकड़ा है। 'किन्नर' या 'हिजड़ा' अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। 'किन्नर' विमर्श स्वप्न, संघर्ष या चिंतन भी है और विषमता विभेद , विकृतियों के खिलाफ विद्रोह का कदम भी है। स्वाभिमान से जीने की जाजीविषा संघर्ष कर रही है। यह संघर्ष या विद्रोह शब्दों तक ही सीमित न रहकर एक सामूहिक स्वर बनकर समाज में उभरा है। साहित्य के द्वारा समाज में जो कीन्नर के प्रति घृणा का भाव था वह नष्ट हो जाएगा। साहित्य के माध्यम से किन्नर लोगों की व्यथा का एहसास समाज को हो जाएगा। समाज का हिस्सा होकर भी एक कटे हुए हिस्से की तरह अलग रहकर किन्नर समुदाय की जो हालात बन चुकी है ,वह समाज के सामने आएगी। घृणा की जगह मदद की भावना समाज में निर्माण होगी। किन्नर समाज को वह दर्द नहीं झेलना पड़ेगा जो सदियों से सहते आ रहे हैं।

प्रस्तावना: हजारों वर्षों से रूढ सामाजिक मान्यताओं के कारण हाशिए पर धकेल दी गई जाति ने आज अपने मन की बात को कहने का साहस अर्जित किया है। दरअसल आधुनिक समय में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था बढ़ाने के कारण सामुदायिक विमर्शों के लिए स्थान निर्मित हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ कि दलित, स्त्री, किसान ,मजदूर, आदिवासी, पर्यावरण, वृद्ध् विमर्श के साथ किन्नर विमर्श को साहित्य और समाज के केंद्र में रखकर चर्चा हो रही है। यह सच है की थर्ड जेंडर के लोग अपनी शारीरिक विकलांगता के कारण ता उम्र अपमानित उपेक्षित और कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य है। आज तमाम औद्योगिक प्रगति के बावजूद हमारे समाज में मानवीय प्रगति अनुपस्थित है। अगर ऐसा नहीं होता तो निसंदेह इस वर्ग के प्रति हमारे मन में बराबरी करुणा और मनुष्यता का भाव होता। एक लंबे संघर्ष और अस्मिता के लिए बेचैन इस वर्ग के लोगों के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज सरकार कानून और सामाजिक संगठनों ने उन्हें अपमानजनक उपमानों से मुक्त कर थर्ड जेंडर या तीसरा लिंग जैसा थोड़ा काम अपमानजनक संबोधन दिया है।

उद्दिष्ट:- किन्नर विमर्श ऊपर साहित्य निर्मित होने से किन्नर जीवन के बारे में जो सच है , वह समाज के सामने आएगा किन्नर समाज की पारिवारिक समस्या ,आर्थिक समस्या ,शैक्षणिक समस्या, लैंगिक समस्या, मानसिक समस्या के अध्ययन से किन्नर समाज के जीवन का स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। किन्नर समाज का दुख दर्द का अध्ययन होने से समाज को उनकी पीड़ा तथा संघर्ष का एहसास होगा। किन्नर समाज के प्रति हमारे समाज में सोच बदल जाएगी और किन्नर समाज अपना जीवन खुशी से जी पाएगा।

समकालीन हिंदी साहित्य में विमर्शों की बहुतायत है। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, किसान विमर्श, विकलांग विमर्श, वृद्ध विमर्श और किन्नर विमर्श इस कड़ी में अपना विशिष्ट थाना रखते हैं। 21वीं सदी के पूर्वाध भी अपने आंचल में कई नए विमर्शों की सौगात हुई है। ऐतिहासिक विमर्श है 'किन्नर विमर्श' यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और प्रशंसनीय कदम है। अपने पूर्व के विमर्शों से यह विमर्श मेरे विचार से नजरिये से भिन्न है ,क्योंकि यह विमर्श

उनके पीड़ा ,दर्द, तकलीफ को जानने समझने का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि मानव अधिकार से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। मानों किन्नर इंसान हो ही नहीं, किसी अन्य ग्रहों के प्राणी हो ,जिनसे हमारी नजरे परहेज करती है । कवि सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है-

"सुंदर से अति सुंदर, सुंदर तर से सुंदर तम
सुंदर-सुंदर जग जीवन, सुंदर जीवन का क्रम रे !
सुंदर विहग, सुमन सुंदर, सुंदर गगन ,धरा सुंदर
सुंदर वन, उपवन सुंदर,सुंदरता के इस जग में
हे मानव ! तुम सबसे सुंदर, सबसे महान——।"१

बेशक हम जानते हैं कि मनुष्य इस धरती पर कुदरत का सुंदर सृजन है, पर तब जब उसमें कोई कमी ना हो। किंतु कुदरत ही मनुष्य का जीवन कुछ कमी रखकर बदलकर बना देता है । बदतर जिंदगी से बड़ा दु:ख क्या होगा ? अगर आंखों से अंधे हो, लूले - लंगड़े वह अपाहिज हो ,तुतले हो, काने- कुवड़े व बहरे हो तो भी समाज और परिवार दया वह करुणा से सहज स्वीकार करेगा । ईश्वर की कमी को समाज की मानवता, करुणा व सहकार से दूर किया जा सकता है, पर ऐसे लोग जिन्हें कुदरत ने तो मारा ही ,समाज ने भी ठुकराया वे भला कहां जा जाकर जिएंगे ? जी हां! एक ऐसा वर्ग है 'किन्नर' । समाज की दयनीयता व दर्दनाक दास्ता का दस्तावेज है किन्नर । 'किन्नर' शब्द ऐसे समाज के लिए प्रयुक्त होता है जो लैंगिक रूप से न नर होते हैं ना मादा । इस शब्द को सुनते ही हमारे मानस पटल पर समाज के ऐसे लोगों की छवि उभर कर आती आती है, जिससे हम किन्नर, हिजड़ा ,पवैया, छक्का, नपुंसकलिंग ,थर्ड जेंडर, तृतीय लिंगी आदि नामों से जानते हैं।

'किन्नरों' का दुनिया भर में उपेक्षा तथा आघात से पीड़ित होने का एक लंबा इतिहास रहा है। उनके अस्तित्व का पता 19 शताब्दी के ई. सा. पूर्व में लगाया गया। किन्नर भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पुराणों से लेकर महाभारत, रामायण में किन्नर के महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं। महाभारत (महाकाव्य) में 'शिखण्डी' एकमात्र ऐसा पात्र था, जो तृतीय लिंगी था । 'अर्जुन' ने अपने अज्ञातवास का एक साल का समय भी किन्नर का रूप धारण कर 'बृहनल्ला' के नाम से बिताया था। 'कौटिल्य' के 'अर्थशास्त्र' में किन्नर का उल्लेख मिलता है । मध्यकालीन भारत के मुगलों तथा कुछ हिंदू शासको की शाही अदालतों ने शक्तिशाली पदों पर किन्नरों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर के शासन काल में कई किन्नर महत्वपूर्ण पदों पर थे । एक किन्नर 'ख्वाजासरा' हिलाल प्रमुख प्रशासनिक पद पर था। इफ्तिखार खान भी एक किन्नर था । यह तो प्रमाणित है की तीसरी दुनिया तो पुरातन काल से ही समाज मे व्याप्त है।

आज हम 21वीं शताब्दी के कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, जहां पर हर काम बटन दबाने से ही हो जाता है। खुद को आधुनिक कहलाने के बावजूद आज भी हम हमारे पुराने दकियानूसी और संकीर्णता की बेडियो में जकड़े हुए हैं । इसलिए हम किन्नर को शुभ मानकर मांगलिक कार्यों में उनके आशीर्वाद लेकर ,उनकी सहभागिता करके दक्षिणा देकर अलविदा करते हैं।और उन्हें किसी सार्वजनिक जगह पर कोई स्थान नहीं देते। उन्हें परिवार और समाज द्वारा त्याग दिया जाता है । सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होने के अवसर से उन्हे वंचित कर दिया जाता है। उनके मौलिक अधिकारों काे सम्मान नहीं किया जाता। वे आज भी लैंगिक भेदभाव अभिव्यक्ति आघात सार्वजनिक सेवा में पर्याप्त उपलब्धता एवं शारीरिक तथा मानसिक उत्पन्न उत्पीड़न से ग्रसित है। आज भी हमें सामाजिक परिवेश ने बेचैन किया है। हमने प्रगति के अनेकों सोपान पर किये हैं, किंतु आज भी समाज से बाहर रहने वाला किन्नर समुदाय विकास और व्यवस्था से कोष दूर है । कुदरत का शिकार किन्नर वर्ग आज 'ग्लोबल विलेज' का चर्चित विषय बन गया है। यह हमारी दुनिया से अलग तीसरी दुनिया का समाज है , जिसे हमारे समाज ने पैदा तो

जरूर किया, मगर अपनाया नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक- से-कटक तक इनका अस्तित्व है, यह उभयलींगी सामाजिक दुनिया के वीच अपने विकृत प्रकृति के साथ दुनिया व समाज में हाशिए पर जिंदगी वसर कर रहे हैं। उनके जन्म से न किसी को उल्लास है ,न मरने से शोक है। जन्म लेना - मरना दोनों उनके लिए आसान है। वस कठिन है, तो इसके वीच के जीवन को जीना । अभिशप्त होकर लांछन घृणा ,तिरस्कार की भावना के साथ जीना ही इनकी नियति वन गया है। उनकी जिंदगी नरक का पर्याय है।

किन्नर जीवन के साथ आत्मवंचना, आत्मर्त्सना, आत्मदंड, आत्मक्रुरता व आत्महीनता जुड़े हुए हैं। यह सव कुछ होते हुए भी हम देखते हैं कि किन्नर समाज हमारे लिए खुशियों का आशीर्वाद लेकर आता है ,हमारे लिए शुभ संकेत देता है। हमें स्वस्थ सफल होने की प्रेरणा देता है । एक ऐसा समाज जिसका 'नाच सवको मनोरंजन देता है पर पैसे देते वक्त जेव सिकुडती हैं। हर प्रसंग पर उनकी उपस्थिति शव्द समाज को धार्मिक वना देती है । मगर इनका कोई धर्म, जाति नहीं होती । मां-वाप के ठुकराए मां-वाप नहीं वनते ,इसलिए हमारे सभ्य समाज को अपना परिवार मानकर जीने वाले इस समुदाय के प्रति हमारी कोई पारिवारिक संवेदना क्यों नहीं रहती? इनकी जिंदगी खतरे में पलती है, खतरे में विताती है और खतरे में ही मर जाती है। अपने जीवन के साथ अनेक समस्याएं सहते हुए यह वर्ग समाज में सम्मान से जीने के लिए भरपूर प्रयास करता है। अपने अस्तित्व व व्यक्तित्व की पहचान के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता, तो यह सवाल उपस्थित होता है कि यह समूह अपने जीवन यापन कैसे कर लेता होगा?

हम एक और कहते हैं कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार इन अधिकारों को रद्द नहीं कर सकती है। तो फिर किन्नर समुदाय के प्रति भेदभाव क्यों? यह समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा क्यों नहीं लेता? वे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कार्यक्रमों और पात्रता सहित व्यावहारिक रूप से अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गंभीर कलंक का अनुभव करते हैं । उनको हर जगह पर अपमानित किया जाता है। गंभीर सामाजिक हाशिया करण, सामाजिक दायित्व और अ०त्म-मूल्य की भावना को कम करता है । आज विश्व धरातल पर मानव अधिकारों की चर्चा ने आंदोलन का रूप लिया है। भारत देश में यह वात स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है।किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई है, किंतु किन्नर समुदाय में शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण उत्पीड़न तथा भेदभाव का शिकार उन्हें वनना पड़ रहा है। किन्नर का पतन 18वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुआ है। सन 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के ने किन्नर समुदाय को अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया गया । आजादी के वाद सन 1949 में तो इस कानून को निरस्त किया गया। परंतु इस समुदाय के प्रति सामाजिक विश्वास निरंतर वना रहा।

भारत के मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण वनाम भारत संघ(दिनांक 15 अप्रैल 2014 और 2014 स 1863) 'नालसा' नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 'NALASA' के मामले में अपने फैसले में आदेश दिया कि भारतीय संविधान के तहत संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानून के प्रयोजनों के लिए वाइनरी जेंडर से अलग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में घोपित किया जाता है । भारतीय कानूनी ढांचे में तीसरे लिंग को मान्यता तथा वड़े पैमाने पर भारतीय समाज एवं कार्यस्थलों में कानून के सम्मान संरक्षण एवं व्यापक सामाजिक, आर्थिक भेदभाव को विस्थापित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। आगे NALASA के इस फैसले को लेकर भारतीय संसद ने 2019 में अधिनियमित किया । अधिनियम में परिभापित 'ट्रांसजेंडर' उन सभी व्यक्तियों को संदर्भित करता है, जिनका जेंडर जन्म के समय उन्हें सौंपे गए जेंडर के अनुरूप या मेल नहीं खाता है। इसके अंतर्गत ट्रांस मेन तथा ट्रांस वूमेन शामिल है।

किन्नर को अधिकार प्रदान करने संवंधी अग्रणी देश की सूची में भारत को ले लिया जाता है । अव तक अमेरिका ,व्रिटेन ,कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, सिंगापुर जैसे करीव 29 देशों ने किन्नर के अधिकारों से संवंधित कानून वनाए हैं।

भारत में पारित बिल के दस अध्यायों में विभाजित 58 धाराएं किन्नरों के सामाजिक समावेशन अधिकार और सुविधा, आर्थिक एवं कानूनी सहायता,शिक्षा, कौशल विकास तथा हिंसा वह शोषण रोकने का प्रावधान करती है। बिल में उनके लैंगिक समानता के अधिकार के साथ शिक्षा तथा नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। किन्नरो के लिए दिए गए राष्ट्रीय आयोग की वात ही इसमें कहीं गई है। इस विधेयक का उद्देश्य किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना और अपनी रुचि के आधार पर काम करने का अधिकार देना है, यह भेदभाव रोकने और असमानता खत्म करने की वकालत है।

आज आवश्यकता है किन्नरों के विकास सामाजिक समावेशन के लिए गंभीर प्रयास करने की। कीन्नरों को उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने के लिए कदम उठाने की। जैविक रूप से अलग तरह की शारीरिक संरचना पाने वाले इस लोगों का प्रकृति पर कोई जोर नहीं। मानवधिकारों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील आज के युग में किन्नर के प्रति सोच बदलने का समय वहुत ही बड़ी जरूरत है। एक मानव के रूप में उनको भी मूल अधिकार मिलना जरूरी है, जो मानव होने के नाते प्रकृति के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के रूप में उन्हें मिले हुए हैं, अगर सरकार समाज दोनों साथ दे तो इनको भी कुछ नया सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

निष्कर्ष :- प्रत्येक जो इस ब्रह्मांड में जीवित है ,वह अपने आप में अलौकिक एवं अद्वितीय है तथा प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है। मानव निर्मित रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर प्रकृति निर्मित कृति के साथ भेदभाव करना गलत है। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। परंतु इस बात में कोई संकोच नहीं है कि आज भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर पूर्ण रूप से भेदभाव किया जाता है। किन्नरों को भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। लैंगिक असमानता इतिहास से अव तक तथा व्यापक रूप में अन्याय के रूपों में समझ में विद्यमान है। लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए समाज में बड़े परिवर्तन के लिए प्रभावी आंदोलन की मांग है, जो समाज में बड़े परिवर्तन की सोच को विकसित कर सके।

संदर्भ सूची:-

१) जनकृति (बहुभाषी अन्तर्राष्ट्रिय मासिक पत्रिका) वर्ष 4 अंक 38 जून 208
२) किन्नर - पूनम पाठक, वांगमय (त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका)
३)समकालिन हिन्दी साहित्य में किन्नर विमर्श-डा॰.लोकेश्वर प्रसाद सिंह
४)हाशीयों की आवाज (मासिक पत्रिका) जून 2023
५) c,satish,(2015)Transgender childresns Education and their Reengamement in socity International journl of Education Research studies ISSN 255-5554
६)New Education policy (2020) MHRD Govt.of India page no.15

PRINCIPAL
Late Ramesh Warpudkar (ACS)
College, Sonpeth Dist. Parbhani

ज्ञानोपासक शिक्षण मंडल संचलित,

कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, परभणी

जिला. परभणी महाराष्ट्र ४३१४०१

तथा

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई एवं स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय, नांदेड

के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

'किन्नर विमर्श'

प्रमाणित किया जाता हैं कि, प्रो./डॉ./प्रा./श्री. शिवाजी पडघनकर

महाविद्यालय कै. रमेश वरपूडकर महाविद्यालय सोनपेठ जि. परभणी के प्रतिभागी ने तिथि २८ मार्च, २०२४ को 'किन्नर विमर्श' विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभागी / शोधालेख वाचक के रुप मे उपस्थित रहकर सहयोग दिया है। इस उपलक्ष्य में प्रस्तुत प्रमाणपत्र सस्नेह प्रदान किया जाता हैं।

शोधालेख का शीर्षक : 'किन्नर समुदाय और मानव अधिकार'

धन्यवाद...!

डॉ. सुजितसिंह परिहार
हिंदी विभागाध्यक्ष, तथा
संगोष्ठी संयोजक
ज्ञानोपासक महाविद्यालय, परभणी

प्रो.डॉ. शेख मो. बाबर
प्रधानाचार्य
ज्ञानोपासक महाविद्यालय, परभणी